

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 46] दिल्ली, नवम्बर 19—नवम्बर 25, 2010, बृहस्पतिवार/कार्तिक 28—अग्रहायण 4, 1932 [सारा.क्षेदि सं 203]
No. 46] DELHI, NOVEMBER 19—NOVEMBER 25, 2010, THURSDAY/KARTIKA 28—AGRAHAYANA 4, 1932 [N.C.T.D. No. 203]

भाग—IV PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2010

सं. फा. 10 (1493)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6224.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बॉर्गस इंडिया प्रा.लि., ए-10, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 15,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 15,000 (रुपए पन्द्रह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

4557 DG/2010

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 23rd November, 2010

F. No. 10(1493)/COS(HQ)/Cons. Duty/6224.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Borges India Pvt.Ltd., A-10 Green Park, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 15,000 (Rs. Fifteen Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,50,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 15,00,000 to be issued by the said company.

(321)

uty Commissioner (Central)

Diary No. 5230
Date 4/2/11



सं. फा. 10 (1495)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6229.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लंदन कोर्ट ऑफ इण्टरनेशनल आरबीट्रेशन(इण्डिया) प्रा. लि., 301-ए, वर्ल्ड ट्रेड टावर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,75,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 175001 से 350000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 17,500 (रुपए सत्रह हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1495)/COS(HQ)/Cons. Duty/6229.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. London Court of International Arbitration (India) Pvt. Ltd., 301-A, World Trade Tower, Barakhamba Lane, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 17,500 (Rs. Seventeen Thousand five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,75,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 175001 to 350000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1485)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6256.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आरएम ट्रेडेक्स प्रा.लि., एफ-23, कम्युनिटी सेन्टर, शेख सराय, फेज-1, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 83,70,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3163001 से 4000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 8370 (रुपए आठ हजार तीन सौ सत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1485)/COS(HQ)/Cons. Duty/6256.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Aarem Tradex Private Limited, F-23, Community Centre, Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi-110017, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8370 (Rs. Eight thousand three hundred seventy) only on the aggregate value of shares of Rs. 83,70,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 3163001 to 4000000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

सं. फा. 10 (1501)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6259.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सैमसंग सी एण्ड टी इण्डिया प्रा.लि., सी-2-दूसरी मंजिल, मिरा कॉर्पोरेट स्यूट्स, प्लॉट 1 और 2, पुराना ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 4,65,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 80,00,001 से 1,10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 46,500 (रुपए छियालीस हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 24th November, 2010

F. No. 10(1501)/COS(HQ)/Cons. Duty/6259.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Samsung C & T India Pvt. Ltd., C-2, 2nd Floor, Mira Corporate Suites, Plot 1 & 2, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110065, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 46,500 (Rupees Forty Six Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,65,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 80,00,001 to 1,10,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1489)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6260.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोबेलको क्रैनस इण्डिया प्रा.लि., सी-20, साउथ एक्सटेंसन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 3,49,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 35,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 34,900 (रुपए चौतीस हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1489)/COS(HQ)/Cons. Duty/6260.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kobelco Cranes

India Pvt. Ltd., C-20, South Extension, Part-II, New Delhi-110049, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 34,900 (Rupees Thirty Four Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,49,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10001 to 3500000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1490)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6261.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोबेलको क्रैन्स इण्डिया प्रा. लि., सी-20, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1490)/COS(HQ)/Cons. Duty/6261.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kobelco Cranes India Pvt. Ltd., C-20, South Extension, Part-II, New Delhi-110049, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rupees One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 1 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1484)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6262.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोसलाइट इण्डिया टेलीकोम प्रा. लि., सी-160, जेवीटीएस गार्डन्स, छतरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110074, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 8,11,23,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 32194371 से 40306670 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 81,123 (रुपए इक्क्यासी हजार एक सौ तेईस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1484)/COS(HQ)/Cons. Duty/6262.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Coslight India Telecom Private Limited, C-160, JVTs Gardens, Chhatarpur

Extention, New Delhi-110074 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 81,123 (Rupees Eighty one thousand one hundred twenty three) only on the aggregate value of shares of Rs. 8,11,23,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 32194371 to 40306670 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1494)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6263.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जेफिफरो कैफे प्रा. लि., 25, कम्युनिटी सेंटर, जमरूदपुर, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 20000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 100 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1494)/COS(HQ)/Cons. Duty/6263.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Zaffiro Cafe Pvt. Ltd., 25, Community Centre, Zamrudpur, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10001 to 20000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1492)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6264.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रूसील कंस्ट्रक्सन्स (इण्डिया) प्रा. लि., 206, मुनीश प्लाजा, 20 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 2,73,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4400001 से 46,73,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 27,300 (रुपए सताइस हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1492)/COS(HQ)/Cons. Duty/6264.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rushil Constructions (India) Pvt. Ltd., 206, Munish Plaza, 20, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 shall pay a

consolidated stamp duty of Rs. 27,300 (Rupees Twenty Seven Thousand Three Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,73,00,000 for Preference Share Certificates with distinctive Nos. 4400001 to 4673000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1488)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6265.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एथेना डेमवे पावर लि., पहली मंजिल, एनबीसीसी टावर, 15-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 27,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 256878379 से 283878378 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,70,000 (रुपए दो लाख सत्तर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1488)/COS(HQ)/Cons. Duty/6265.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Athena Demwe Power Limited, 1st Floor, NBCC Tower, 15-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,70,000 (Rupees Two Lakh Seventy Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 27,00,00,000 for Preference Share Certificates with distinctive Nos. 256878379 to 283878378 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1393)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6266.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फोम एल्यूमिनियम मशीन्स प्रा. लि., प्लैट नं. 203, भनोट प्लाजा-II, 3, देशबन्धु गुप्ता रोड, पहाडगंज, नई दिल्ली-110055, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 14,13,020 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0010001 से 0080651, 0137173 से 0151302 एवम् 0080652 से 0137172 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,414 (रुपए एक हजार चार सौ चौदह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1393)/COS(HQ)/Cons. Duty/6266.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling

Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Fom Alluminium Machines Pvt. Ltd., Flat No. 203, Bhanot Plaza-II 3, Desh Bandhu Gupta Road, Paharganj, New Delhi-110055 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,414 (Rupees One Thousand Four Hundred Fourteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 14,13,020 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 0010001 to 0080651, 0137173 to 0151302 and 0080652 to 0137172 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1451)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6267.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री निप्रो इण्डिया कॉर्पोरेशन प्रा. लि., डी-28, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 145,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 30000001 से 37250000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 14,50,000 (रुपए चौदह लाख पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1451)/COS(HQ)/Cons. Duty/6267.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Nipro India Corporation Pvt. Ltd., D-28, South Extension, Part-I, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 14,50,000 (Rupees Fourteen Lakh Fifty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 145,00,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 30000001 to 37250000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1486)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6268.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एथेना एमरा पावर प्रा. लि., पहली मंजिल, एनबीसीसी टावर, 15-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 37,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 23010001 से 23385000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3750 (रुपए तीन हजार सात सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1486)/COS(HQ)/Cons. Duty/6268.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Athena Emra Power Private Limited, 1st Floor, NBCC Tower, 15-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3750 (Rupees Three Thousand seven Hundred fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 37,50,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 23010001 to 23385000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1498)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6269.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अमाकन ओवरसीज प्रा.लि., के-185, 1 सराय जूल्लेनासूर्या प्लाजा, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 56,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2001 से 2200 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 5,600 (रुपए पांच हजार छः सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1498)/COS(HQ)/Cons. Duty/6269.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Amakan Overseas Pvt. Ltd., K. 185, 1 Sarai Jullanasurya Palza, 2nd Floor, New Friends Colony, New Delhi-110025 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. Five Thousand Six Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 56,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 2001 to 2200 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1487)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6270.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एथेना एनर्जी वेन्चर्स प्रा.लि., हॉल नं.-1, पहली मंजिल, एनबीसीसी टावर, 15-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 150,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 345000000 से 495000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 15,00,000 (रुपए पन्द्रह लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

4557 DG/10-2

F. No. 10(1487)/COS(HQ)/Cons. Duty/6270.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Athena Energy Ventures Private Limited, Hall No. 1, 1st Floor NBCC Tower, 15-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 15,00,000 (Rupees Fifteen lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 150,00,00,000 for Equity share certificates with distinctive Nos. 345000000 to 495000000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1491)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6271.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शिरेशी कैल्सियम (इण्डिया) प्रा.लि., 7, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 15,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 15,000 (रुपए पन्द्रह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1491)/COS(HQ)/Cons. Duty/6271.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Shiraishi Calcium (India) Pvt. Ltd., 7, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 15,000 (Rupees Fifteen Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 150,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 1500000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1499)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6272.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इरोज रीसोर्ट्स एण्ड होटल्स लि., एस-1, अमेरिकन प्लाजा इण्टरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,46,20,70,500 मूल्य के प्रीफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 30000001 से 176207050 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 14,62,071 (रुपए चौदह लाख बासठ हजार इक्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1499)/COS(HQ)/Cons. Duty/6272.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Eros Resorts and Hotes Ltd., S-1, American Plaza International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 14,62,071 (Rupees Fourteen Lakh Sixty Two Thousand Seventy One) only on the aggregate value of shares of Rs. 146,20,70,500 for Preference Share certificates with distinctive Nos. 30000001 to 176207050 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1496)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6273.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्दूसिया फूड एण्ड बेवरेजिज इण्टरनेशनल प्रा.लि., सी-148, भू-तल, ओखला फेज-1, नई दिल्ली 110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 78,32,850 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3259374 से 4043658 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 7,833 (रुपए सात हजार आठ सौ तैंतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1496)/COS(HQ)/Cons. Duty/6273.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Inducia Food & Beverages International Pvt. Ltd., C-148, Ground Floor, Okhla, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,833 (Rupees Seven Thousand Eight Hundred Thirty Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 78,32,850 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 3259374 to 4043658 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1500)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6274.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोजर बेयर इन्वेस्टमेंट्स लि., 43-बी, ओखला इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1150001 से 1350000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,000 (रुपए दो हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1500)/COS(HQ)/Cons. Duty/6274.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Moser Baer Investments Ltd., 43, B, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,000 (Rupees Two Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 20,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1150001 to 1350000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1497)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6275.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., 115 अंसल भवन, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2,31,40,79,875 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 13,25,25,186 से 15,82,51,476 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 23,14,080 (रुपए तेइस लाख चौदह हजार अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1497)/COS(HQ)/Cons. Duty/6275.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ansal Properties and Infrastructure Ltd., 115 Ansal Bhawan, 16 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 23,14,080 (Rupees Twenty Three Lakh Fourteen Thousand Eighty) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,31,40,79,875 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 13,25,25,186 to 15,82,51,476 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1467)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6276.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टिन्ना विटेरा ट्रेड प्रा.लि.ए नं.-6, सुल्तानपुर, माण्डी रोड, महरोली, नई दिल्ली-110030, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,01,81,800 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19,82,286 से 30,00,465 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 10,182 (रुपए दस हजार एक

सौ बयासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(1467)/COS(HQ)/Cons. Duty/6276.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Tinna Viterra Trade Private Limited, No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,182 (Rupees Ten Thousand One Hundred Eighty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,01,81,800 for Equity Share certificates with distinctive Nos.19,82,286 to 30,00,465 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISRA, Spl. Inspector General (Registration)

पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग

संशोधन/आशोधन

दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

सं. फ. 8 (348)/ईए/पर्या./09/भा-2/10771—दिनांक 10 सितंबर 1992 की अधिसूचना सं. यू11030/जे/91/ यूटीएल के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 18 मई, 2010 के निर्देशों द्वारा दिल्ली में भूमिगत जल विनियमन तथा प्रबंधन के लिए गठित दिल्ली राजपत्र में 12 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. फा. 8 (348) ईए/पर्या.09/2246 द्वारा प्रकाशित सलाहकार समिति के गठन में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

निर्देश संख्या 4 में क्रम संख्या 2

निदेशक पंचायत का स्थानापन्न 7-राजस्व जिलों अर्थात् उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पूर्व, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण के संबंधित खण्ड विकास अधिकारी से होगा।

तथा

निदेशक पंचायत का स्थानापन्न मध्य एवं नई दिल्ली राजस्व जिलों के लिए खण्ड विकास अधिकार (मुख्यालय) से होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुषमा जैरथ, उप सचिव

**DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND
FORESTS AND WILDLIFE
AMENDMENT/MOIFICATION**

Delhi, the 25th November, 2010

No. F. 8(348)/EA/Env./09/Pt. II/10771.—In exercise of power conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with the notification No. U-11030/J/91-UTL dated the 10th September, 1992, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby issues following amendment in the composition of Advisory Committee constituted under the directions dated the 18th May 2010 for groundwater regulation and management in Delhi published in Delhi Gazette vide Notification No. F. 8 (348)/EA/Env/09/2246 dated 12th July 2010 :

In direction No. 4, Sl. No. 2,

Director (Panchayat) to be substituted with Block Development Officer of respective 7 Revenue Districts i.e. , i.e. North, North-West, East, North-East, West, South-West & South.

And

Director (Panchayat) to be substituted with Block Development Officer (HQ) for Central & New Delhi Revenue Districts.

By Order and in the name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SUSHMA JERATH, Dy. Secy.